फर्द अहकाम

संजय सोलंकी **बनाम** के. आर. मीणा व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या ५५/2024 (टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19/2/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी. आई. पर सुनी गई। प्रार्थनापत्र टी. आई. के अन्तर्गत वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी की ओर से वादग्राम जैतपुर खींची तह. आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ. ख. नं. 80 रकबा 1.26 हे. के सन्दर्भ में बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। जो न्यायालय के स्तर पर लम्बित है। वाद अधीन उल्लेखित आ. ख. नं. 80 रकबा 1.26 हे. मिन प्रार्थी की एकल खातेदारित की विधिवत, मान्य सीमाज्ञान शुदा भूमि है। जिसका विधि अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 25.06.21 को किया जा चुका है। जिसके क्रम में सक्षम न्यायालय उपखंड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 28.06.23 की अनुपालना में भूमि की विधिवत पत्थरगढ़ी की कार्यवाही भी पूर्ण की जा चुकी है। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के बाबत भूमि की पैमाईश अनुसार मिन प्रार्थी की खातेदारित की उक्त भूमि ख. नं. 80 की दक्षिणी सीमा के आंशिक भाग पर अप्रार्थीगण का अविधिक कब्जा तारबंदी के रूप में पाया गया है। जिससे प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से उनका उक्त अवैध कब्जा हटाने बाबत निवेदन किया गया तो अप्रार्थीगण द्वारा अपना अविधिक कब्जा हटाने बाबत स्पष्ट इंकार करते हुए सीमाज्ञान व [illegible] अनुसार निर्धारित [illegible] इंकार कर दिया गया [illegible] अनुसार भूमि पर पुख्ता [illegible] जिससे प्रार्थी को वाद कारण [illegible] होकर अपनी भूमि की सीमाओं की सुरक्षार्थ वाद न्यायालय हाजा में मय प्रार्थनापत्र टी. आई.	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.28 14:07:22 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

संजय सोलंकी बनाम के. आर. मीणा व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 45/2024 (टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19/02/25	को प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। जिसके अनुसार प्रार्थी अधिकारी है कि वह भूमि वादग्रस्त आ.ख.नं. 80 रकबा 1.26 हे. जो कि प्रार्थी की अभिलिखित एकल खातेदारी की भूमि है, की विधिवत सीमाज्ञान व पत्थरगढी अनुसार निर्धारित सीमा के दक्षिणी दिशा के आंशिक भाग अप्रार्थीगण की अवैधिक तार फेंसिंग व कब्जे से बेदखल करवाते हुए भूमि का कब्जा प्राप्त कर अप्रार्थीगण को प्रार्थी की भूमि के संदर्भ में अवैधिक कब्जे व अवैधिक हस्तक्षेप बाबत पाबन्द करा सके। जिसके बाबत मूलवाद साक्ष्यवादी प्रक्रिया में नियत है। जिसके लम्बित रहते तथा अंतिम निर्णय होने तक यदि अप्रार्थीगण को उनके अवैधिक कृत्यों व अवैधिक कब्जे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में अवैधिक हस्तक्षेप बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित कर देंगे। जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण को वादपत्र व प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत उल्लेखित तथ्यों के संदर्भ जवाब अथवा किसी प्रकार की अन्य आपत्ति हेतु विधिवत नोटिस भी प्रेषित किए गए है। जिसके क्रम में अप्रार्थीगण की [illegible] के समक्ष उपस्थिति ही प्रस्तुत की गई [illegible] ही वादपत्र व प्रा.पत्र [illegible] के संदर्भ में किसी भी प्रकार [illegible] आपत्ति अथवा मान्य [illegible] गया है। जबकि प्रार्थी [illegible] अभिलिखित एकलखातेदारी की भूमि [illegible] कि विधिवत मान्य प्रक्रिया अनुसार सीमाज्ञान शुदा व पत्थरगढी शुदा भूमि है, की सीमा के संदर्भ में अनुतोष चाहा गया है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को तत्कालत	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

संजय सोलंकी बनाम के. आर. मीणा व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 45/2024 (टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	19/02/25	मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम जैतपुर खींची तह. आमेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की अभिलिखित एकलखातेदारी की भूमि आ.ख.नं. 80 रकबा 1.26 हे. की दक्षिणी सीमा के आंशिक भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण, पुख्ता बाउण्ड्रीवाल निर्माण, अवैधिक कब्जा, तथा भूमि का विक्रय-हस्तांतरण आदि ना करें एवं राजस्व नक्शे अनुसार मौके, सीमाओं की यथास्थिति कायम रखें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरणाधीन उल्लेखित भूमि आ.ख.नं. 80 रकबा 1.26 हे. प्रार्थी की अभिलिखित एकलखातेदारी की विधिवत सीमाज्ञान शुदा भूमि है। जिसकी सक्षम आदेशानुसार विधिवत पत्थरगढी कार्यवाही भी पूर्ण की जा चुकी है। जिसकी दक्षिणी सीमा के अन्तर्गत अवैधिक हस्तक्षेप व कब्जे सम्बन्धी प्रार्थी के कथन का अप्रार्थीगण की ओर से किसी भी रूप में कोई मान्य/औपचारिक खंडन अथवा उक्त संदर्भ में किसी प्रकार की कोई अन्य आपत्ति व किसी प्रकार अभिव्यक्ति न्यायालय हाजा के प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही तथ्यों को नकारा गया है। अपितु बावजूद विधिवत सूचना के न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति ही प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि प्रार्थी द्वारा स्वयं की अभिलिखित एकलखातेदारी की भूमि की सुरक्षार्थ अनुतोष चाहा गया है जिसका वह विधिक अधिकारी है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम जैतपुरखींची तह. आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 80 रकबा 1.26 हे. की	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.28 14:07:22 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

संजय सोलंकी बनाम डी. आर. मीणा व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 44/2024 (टी. आर्डी.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/02/25	जो कि प्रार्थी की एकल खातेदारी की सीमाज्ञान शुदा भूमि है, की दक्षिणी सीमा पर किसी प्रकार की अविधिक गतिविधी, अविधिक कब्जा, पुख्ता निर्माण आदि ना करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखते हुए प्रार्थी की उनकी आभिलिखित एकल खातेदारी की भूमि के निर्बाध उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली पूर्तल तुमार होकर रजिस्टर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.28 14:07:22 IST
Reason: SelfAttested